संख्या : यू0ओ0 347 /26–ब0प्र0–2011-25(खा)/09

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक : 15 अप्रैल, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2011–12 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (एस0सी0एस0पी0) में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक 02/खा0ग्रा0बो0/प्रशि0–एस0सी0एस0पी0/2011–12 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 72.00 लाख (रूपये बहत्तर लाख मात्र) में से प्रथम छःमाह के लिए धनराशि रू0 रू0 36.00 लाख (रूपये छत्तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फॉट के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या--बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा–निर्देशों के अनुसार कि या जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–07–कौशल सुधार प्रशिक्षण–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

5. ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या : यू0ओ0 347 (1)/26–ब0प्र0–2011 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग–4/औद्योगिक विकास अनुभाग–3
(6) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव

19/4/11

शासनादेश संख्या-यू0ओ0 347 /26-ब0प्र0-2011-25(खा)/09 दिनांक 15 अप्रैल 2011 का संलग्नक

वर्ष 2011-12 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (एस0सी0एस0पी0) हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रथम छःमाह के लिए वित्तीय स्वीकृति

क्रमांक	केन्द्र का नाम	धनराशि (लाख रू0 में)	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ	4.00	200
2.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी, गोरखपुर	3.00	150
3.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आहोपट्टी, आजमगढ़	2.50	125
4.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा, मऊ	2.50	125
5.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	2.50	125
6.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अनुवा, इलाहाबाद	3.50	175
7.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी, जालौन	5.50	275
8.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला, शाहजहांपुर	3.00	150
9.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग, मथुरा	4.00	200
10.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर	5.50	275
	योग	**36.00**	**1800**

(रूपये छत्तीस लाख मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव